

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - लल्लु बड़ाईक।

बनाम

वाद सं0 100 / 2022

द्वितीय पक्ष - मंगल बड़ाईक बगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
24/2/23	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 46/2022 दिनांक 05/08/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) लल्लु बड़ाईक उम्र 35 वर्ष (2) रिणलेश्वर बड़ाईक उम्र 30 वर्ष दोनो पिता बनु बड़ाईक ग्राम टेंगरिया खिजुरटोली थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) मंगल बड़ाईक उम्र 55 वर्ष (2) दर्शन बड़ाईक उम्र 45 वर्ष दोनो का पिता स्व0 निर्मल बड़ाईक ग्राम टेंगरिया खिजुरटोली थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच जमीन मौजा टेंगरिया खाता सं0 108, 14 प्लॉट सं0 2051, 2057, 2058, 2059, 2700 एवं 2701 जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p>	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।